माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस हिरासत में डी.के. वसु गाईड लाईन में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार।

1. अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा अपनी निर्धारित वर्दी गिरफ्तारी व पूछताछ के समय धारण की जावे एवं वर्दी पर स्वयं की नेमप्लेट लगाई जावे तथा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने वाले अधिकारी का नाम गिरफ्तारी रजिस्टर में अंकित किया जावे।
2. प्रत्येक गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की फर्द गिरफ्तारी तैयार करवाई जावे एवं गवाहों में एक स्वतंत्र साक्षी रखा जावे तथा फर्द गिरफ्तारी में दिनांक व गिरफ्तारी का समय अंकित किया जावे।
3. प्रत्येक गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों/मित्रों को दी जावे एवं गिरफ्तार व्यक्ति को जहां रखा गया है इस बाबत भी जानकारी दी जावे।
4. पुलिस थाना क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में 08 से 12 घण्टे के अंदर सूचना परिजनों अथवा मित्रों को दी जावे।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के बारे में व गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई व गिरफ्तार कर कहां रखा गया है, इस बाबत थाना हाजा के रोजनामचा आम में प्रविष्टि की जावे।
6. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की इच्छानुसार उसकी गिरफ्तारी की सूचना तत्काल उसके परिजनों/मित्रों को दी जावे।
7. यदि गिरफ्तारशुदा व्यक्ति चाहे तो उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से मेडिकल मुआयना करवाया जाकर मेडिकल रिपोर्ट की प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जावे।
8. गिरफ्तार शुदा व्यक्ति यदि पुलिस रिमाण्ड पर रहता है तो हर 48 घण्टे में अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से मेडिकल मुआयना करवाया जावे।
9. गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों की प्रति समय पर ईलाका मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जावे।
10. गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को पुलिस हिरासत में अपने वकील से मिलने की इजाजत दी जावे।
11. गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों का नाम पता थाने पर बनवाये गये बोर्ड पर मय प्रकरण से अंकित करवाया जावे एवं गिरफ्तारी संबंधी डी.के वसु के निर्देशों का बोर्ड बनवाया जाकर जिले पर प्रत्येक थानों के परिसर में लगवाया जावे तथा गिरफ्तारी रजिस्टर जिले के प्रत्येक थाने पर संधारित करवाया जावे।